12/02/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र u/s 212 R.T. Act हेतु दि. 19/03/26 को पेश हो। [signature] 12/2/26
19/3/2026	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। हाल जमाबंदी संवत 2074-77 के अनुसार ग्राम सलोतिया की वादग्रस्त भूमि ख०न० 1145/488 रकबा 2-11 बीघा की प्रार्थीया रिकार्ड खातेदार एवं कब्जा धारी है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा पेश 100 रुपये के stamp paper दिनांक 11/6/2021 पर लिखे सहमति पत्र, पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 10/6/2021, 100 रु. के stamp पर लिखा इकरारनामा, पेश फोटोग्राफ (रास्ते) एवं इस FIR आदि के अवलोकन से जाहिर है कि [illegible] की खातेदारी की वादग्रस्त [illegible] मेड़ के सहारे बना से प्रचलित [illegible] हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा कोई नया [illegible] अवरुद्ध नहीं किया गया है। अतः रास्ते प्रचलित रास्ते को चाहे खातेदारी में होकर बना हुआ है,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

रोकना न्यायोचित नहीं होगा। अतः प्रस्तुत प्रथम दृष्टया व सुविधा सन्तुलन प्रचलित रास्ते के हद तक प्रार्थिया के पक्ष मे (नहीं) साबित नहीं है। शेष खातेदारी भूमि पर रास्ता बनाने का अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्र0पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसलामुकदमा इस आशय के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि ख0 नं0 1145/488 की मेड के सहारे बने पुराने प्रचलित रास्ते (max 8 फीट) को छोडकर शेष खातेदारी भूमि पर जबरन प्रवेश नहीं करे। ना ही कोई दखल देवें। प्रार्थीया उक्त प्रचलित रास्ते को बिना किसी विधिक आदेश के नहीं रोके। यदि पशुओ/जानवरो से सुरक्षा के लिए प्रार्थीया ने रास्ते के सहारे कोई तार फैंसिंग कर रखी है, तो अप्रार्थीगण उसे नहीं तोडे। यदि रिकार्डेड रास्ता चाहिए तो अप्रार्थीगण धारा 251A RT Act के सक्षम न्यायालय मे प्र0पत्र पेश कर, प्राप्त करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर शामिल सलग्न हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

12/03/26
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner